



ADROIT KNOWLEDGE SCHOOL (AKS)

(A Unit of Amritraj Sushiladevi Education Society, Pali)

REGISTRATION FORM (प्रवेश फार्म)

Co educational
English & Hindi Medium

S.No. :

"EVERY STUDENT MATTERS
EVERY MOMENT COUNTS"

1. Name of student
(In Block Letters)

(विद्यार्थी का नाम)
(स्पष्ट अक्षरों में)

2. Date of Birth
(जन्म तिथि)

DD MM YYYY

3. Age
(उम्र)

(In Words)
(शब्दों में)

4. Sex
(लिंग)

Male
(छात्र)

Female
(छात्रा)

5. Category
(श्रेणी)

GEN.
(सामान्य)

SC
(अनुसूचित जाति)

ST
(अनुसूचित जनजाति)

OBC
(अन्य पिछड़ा वर्ग)

MINORITY
(अल्पसंख्यक)

Other
(अन्य)

6. Religion
(धर्म)

7. Nationality
(राष्ट्रीयता)

8. Class in which admission is sought
(जिस कक्षा में प्रवेश चाहते हैं)

9. Medium
(माध्यम)

10. Name of last school attended
(पिछले विद्यालय का नाम)

11. Permanent Address
(स्थायी पता)

Contact No.
(सम्पर्क सूत्र)

12. Present Address
(वर्तमान पता)

Contact No.
(सम्पर्क सूत्र)

13. Language spoken at home :
(घर पर बोली जाने वाली भाषा)

14. Parent's details (अभिभावक का विवरण)
Father (पिता)

Name (In Capital Letters)
(नाम-स्पष्ट अक्षरों में)

Date of Birth
(जन्म तिथि)

Qualification
(शैक्षणिक योग्यता)

Occupation / Designation
(व्यवसाय/पद)

Contact No.
(सम्पर्क सूत्र)

E-mail (If any)
(ई-मेल) (यदि हो तो)

Signature (हस्ताक्षर)
Father / Mother / Guardian
(माता/पिता/अभिभावक)

Mother
(माता)

Name (In Capital Letters) _____

(नाम-स्पष्ट अक्षरों में)

Date of Birth _____ Qualification _____

(जन्म तिथि)

(शैक्षणिक योग्यता)

Occupation / Designation _____ Contact No. _____

(व्यवसाय/पद)

(सम्पर्क सूत्र)

E-mail (If any) _____

(ई-मेल) (यदि हो तो)

Guardian (अभिभावक)

(if different from father / mother) (यदि माता-पिता से भिन्न हो)

Name (In Capital Letters) _____

(नाम-स्पष्ट अक्षरों में)

Date of Birth _____ Qualification _____

(जन्म तिथि)

(शैक्षणिक योग्यता)

Occupation / Designation _____ Contact No. _____

(व्यवसाय/पद)

(सम्पर्क सूत्र)

E-mail _____

(ई-मेल) (यदि हो तो)

15. Conveyance facility _____ School _____ Self _____ Pick Up Point _____
(परिवहन सुविधा) (विद्यालय के द्वारा) (स्वयं के द्वारा) (लाने का स्थान)

16. How Much time do you give to your child's education at home _____
(आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए घर पर कितना समय दे पाते हैं)

17. Enclosures (Please tick) (Please bring originals for verification) (संलग्न चिह्नित करें) (कृपया सत्यापन के लिए मूल प्रति साथ में लावें)

Attested photocopy of Birth Certificate from The Municipal Council. (जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति)

Original Transfer Certificate. (मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र)

Photocopy of marksheet issued by previous school. (पिछले विद्यालय द्वारा जारी की गई अंक तालिका की छाया प्रति)

2 coloured Photographs of student (विद्यार्थी के दो आवश्यक रंगीन फोटो)

For "NRI" / Foreigners : Passport (attested photocopy) (एन.आर.आई./विदेशी : पासपोर्ट प्रमाणित छाया प्रति)

RULES AND REGULATIONS FOR SCHOOL CHILDREN

In accordance with the education system, all students shall abide by these rules & regulations of Adroit Knowledge School (AKS) for the Course of their study at school.

PURPOSE :-

The purpose of this document is

- to help foster good discipline in each and every student completing schooling.
- to facilitate the inculcation of good citizenship values, along with religious and cultural values.
- to aid the school in fostering respectability, productivity, knowledge, skills and instill good health in students.

PLACE OF REGULATION :-

These regulations are imposed on to all students studying in Adroit Knowledge School (AKS). These regulations will be implemented by school and people involved in providing education.

ARTICLES

1. Respecting the Laws and Regulations

- Every student must follow the laws and principles, fulfill the obligatory duties and refrain from wrong doings.
- Every student must abide by the laws, rules and regulations of the school.

2. School Attendance

A disciplined life is a key to success. Make Your child punctual and disciplined by sending him / her to school on time, delay of 5 10 min makes a difference where each minute is meaningful.

- Every student should come to school on time. Students participating in any extra activities should be punctual to the activity as Well.

Signature
Father / Mother / Guardian

ii) Student absent from school due to illness or any other valid reason must present a written reason for the absence, from the parent/guardian to the school. When the student returns to school, it is the responsibility of the parent/guardian to send the application to school and the class teacher should sign this application as well.

iii) Regularity is expected from the student. Minimum 75% attendance is compulsory for the student to appear in final examination. An exemption of 25% is provided on medical ground or leave taken due to unavoidable circumstances supported by the documentary proof.

iv) Monthly attendance should be 80%, parents to take care of that.

v) Student infected with a communicable disease, must present a medical certificate from a certified medical practitioner, when the student returns to school.

3: Things needed for School

i) All necessary materials should be brought to school according to the school timetable and any material requested by the school should be brought to school too. Other unnecessary things are not allowed in school and it is the responsibility of the parent/guardian to see that such unnecessary things are not brought to school.

ii) Materials brought to the school including the stationery, should be relevant to age and grade. In this respect, the materials brought should not be very expensive.

4. School Uniform and dress Code

A sense of respect is expected towards uniform. A student wearing faded, untidy and torn uniform will not be entertained in school.

i) Every student should attend school and other places representing the school wearing the school uniform. This will not be followed in cases where the school has arranged activities that do not require the normal uniform.

ii) Jewellery is not permitted in school. If anyone wears, then it is the responsibility of the student & not the school.

iii) Hair of every student must be kept trimmed, neat and clean.

iv) Nails should be cut short and clean.

v) Make-up is not permitted with the school uniform. (Exception when involved with any activity related to school.)

vi) Dying, colouring of hair and applying hair gel are not permitted. Nail paint, mehendi, tatoos on hands, jewellery items are prohibited and such student will not be allowed in classroom.

5. Students Travelling Out of Station.

i) Parent/guardian of student travelling out of station during the school days should inform in writing to the school and seek approval for the same in Written.

6. Protection fo School Properties and Rights of Other Students

i) Students are not allowed to harm any student, property and/or building inside or out side the school. Getting involved with others in such destructive behaviour is prohibited.

ii) Students are not permitted to take or use another student's belongings without their prior permission.

iii) If a student does harm to another student, Person, school Property or building, the full responsibility of the action and damage has to be taken by that particular student and his/her paren/guardian.

7. Participating in Activities Outside the School.

i) A student can appear in films, public shows ,record music for music albums only after consent has been sought from the school. This consent will be given by the school, after the role of the student is assessed by the school, when the parent/guardian submits a written request for consent to the school.

Signature

Father | Mother | Guardian

8. Social, Ethical and Moral Considerations for Students.

- i) Every student must respect and obey their parent.
- ii) Every student must obey and respect school heads, teachers and staff of the school.
- iii) Every student should show respect and use appropriate language in communicating with others.
- iv) Every student should be punctual to school and use the time valuably.
- v) Every student should make good use of the opportunities presented to them. Be committed and hard working.
- vi) Every student should learn to economize.

9. Things Prohibited to Students.

- i) Smoking
- ii) Expensive items like jewellery, watches, mobile phones or monetary items.
- iii) Riding vehicles without the license.
- iv) Being in the school uniform other than for school activities.
- v) Being a part or participating in any riots, chaos, fighting, and rallies.

10. Taking Action Against Children Who Breaches Above Mentioned Rules and Regulations.

- i) Recording the problem and giving advice on them.
- ii) Suspending from sports and other activities according to the school policy.
- iii) Keeping children after school and completing a task (appropriate for students) given by the school.
- iv) Informing the parent and reminding the parent of their duty.
- v) Warning about expelling the student from school.
- vi) Expelling the student from school.

11. Publication of Student's Work or Photographs:

Permission for photographs of the child to be taken during school activities. If photographs are taken, this would be for the purpose of educating students, promoting the school, or promoting public education. The school can publish photographs and samples of your child's work.

The school may publish photographs of your child and/or samples of work done by your child in a variety of ways. The publications could include, but are not limited to, school newsletters (online and in hard copy), Department of Education and Training or internet websites, school annual magazines, local newspapers. If published third parties would be able to view the photographs and work pamphlets, school prospectus and hoardings.

- i) The school is able to publish photographs of your child and samples of your child's work as many times as it requires in the ways mentioned above.
- ii) Your child's photograph may be reproduced either in colour or in black and white.
- iii) The school will not use your child's photograph or samples of your child's work for any purpose other than for the education of student or for the general promotion of public education and the school. Whilst every effort will be made to protect the identity of your child the Department of Education and Training cannot guarantee that your child will not be able to be identified from the photograph or work.

12. Fee Rules :

- i) Fee paid once will be non-refundable and non-transferable.
- ii) Fee shall be accepted in cash/DD or same dated cheques in Favor of Amritraj Sushiladevi education Society, Pali
- iii) Bouncing of cheques will be lead to legal actions.
- iv) The fee will be taken in installments.
- v) The fee amount for class..... is

Signature
(Father / Mother / Guardian)

विद्यार्थियों हेतु नियम विनियमन :

शिक्षा व्यवस्था हेतु अड्रॉइट नॉलेज स्कूल (अक्स) के हर विद्यार्थी को निर्धारित उद्देश्य :-

- विद्यार्थी अनुशासित रहे व विद्यालय के नियमों की पालना करें।
- महत्वपूर्ण जीवन मूल्य जैसे नागरिकता, सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों आदि की जानकारी कर सके।
- विद्यार्थी विद्यालय में ज्ञान, कौशल एवं संस्कार अर्जित कर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें।

विनियम का स्थान

संपूर्ण नियम हर उस विद्यार्थी हेतु है जो अड्रॉइट नॉलेज स्कूल (अक्स) का हिस्सा है। यह विनियमन संपूर्ण विद्यालय व यहाँ से जुड़े हर व्यक्ति से संबंधित है।

लेख :

1. नियम व विनियमनो का आदर :

- विद्यार्थी द्वारा संपूर्ण नियमों व कर्तव्यों की पालना करते हुए गलत कार्य न करने का प्रण लेना।
- विद्यार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमों व कानूनों की पालना की जानी आवश्यक है।

2. स्कूल उपस्थिति के संदर्भ में

अनुशासन ही सफलता की कुँजी है। अपने बालक को एक सफल आदर्श व अनुशासित जीवन देने हेतु उसे सही समय पर स्कूल भेजा जाये। जीवन का हर एक क्षण अपनी अलग अहमियत रखता है।

- विद्यार्थी सही समय पर विद्यालय आए व यहाँ होने वाली हर एक गतिविधि में अपना हिस्सा लें।
- अगर विद्यार्थी अपनी बीमारी या किसी भी कारण हेतु विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसके माता-पिता या परिवार जन का यह दायित्व है कि विद्यालय को इसकी जानकारी प्रार्थना-पत्र के रूप में अवश्य उपलब्ध करवाएँ। जिसे कक्षा अध्यापक मंजूर कर अपने हस्ताक्षर कर उसे मान्य करे।
- शिक्षा सत्र में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अतिरिक्त 25% अनुपस्थिति चिकित्सकीय जाँच या पूर्व प्रार्थनापत्र के साथ ही स्वीकृत रहेगी।
- मासिक छात्र उपस्थिति 80 % अनिवार्य है इसका अभिभावक ध्यान रखें।
- अगर विद्यार्थी विद्यालय काल के दौरान किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित होता है तो अभिभावक द्वारा चिकित्सकीय जाँच का लेखा देना अनिवार्य होगा। बिना चिकित्सकीय जाँच के विद्यार्थी की छुट्टियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।

3. विद्यालय में जरूरत की सामग्री

- हर वह आवश्यक चीज जो की विद्यालय समय-चक्र हेतु अनिवार्य है, वह विद्यालय में लाना अनिवार्य है, अनावश्यक वस्तुएँ विद्यालय में अनुमति हेतु स्वीकृत नहीं है अतः अभिभावक इसका पूर्ण ध्यान रखें।
- विद्यालय में किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री उनके कक्षा के स्तर की ही मान्य होगी। अधिक किमती वस्तुएँ विद्यालय में लाना स्वीकृत नहीं होगा।

हस्ताक्षर

(माता/पिता/अभिभावक)

4. विद्यालय गणवेश व पोशक संहिता

गणवेश के प्रति आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप उसके प्रति आदरणीय रहें व उसे पूर्ण सम्मान प्रदान करें। अतः रंगो से धुंधले पड़े कपड़े, गंदे कपड़े या फटा हुआ गणवेश विद्यालय में मान्य नहीं होगा।

i) हर विद्यार्थी अनिवार्यतः प्रत्येक दिन अपने पूर्ण गणवेश में विद्यालय में उपस्थित रहेगा। विद्यालय द्वारा आयोजित किसी विशेष समारोह या कार्यक्रम में वह विद्यालय की आज्ञानुसार गणवेश में आएगा।

ii) विद्यालय में विद्यार्थी किसी भी गहने को पहनकर नहीं आएगा अगर आता है तो जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

iii) हर विद्यार्थी के बाल-व्यवस्थित व सुसज्जित रहे। लड़के समय-समय पर अपने बालों को कटवाते रहें। लंबे व अव्यवस्थित बाल विद्यालय में मान्य नहीं होंगे।

iv) बच्चों के नाखून कटे हुए हो।

v) किसी भी प्रकार की साज-सज्जा विद्यालय गणवेश में मान्य नहीं होगी।

(विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल होने पर लागू नहीं)

vi) किसी भी प्रकार के रंगों का बालों पर प्रयोग या जेल इत्यादि का प्रयोग बच्चे विद्यालय में नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त नेल पोलिश, मेहन्दी, आभूषण या किसी भी प्रकार के टेटू (गुदाई) मान्य नहीं होगी।

5. विद्यार्थी जब शहर से बाहर जाए

अभिभावक की यह पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी कि अगर विद्यार्थी विद्यालय दिनों में किसी कारणवश शहर से बाहर जाता है तो लिखित में प्रार्थनापत्र विद्यालय भेजना अनिवार्य है जिसे विद्यालय द्वारा स्वीकृत करवाया जाना अनिवार्य है।

6. विद्यालय सामग्री व उसकी गरिमा को बनाए रखने हेतु व अन्य विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा संबंधित

i) कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी को हानि नहीं पहुँचाएगा साथ ही साथ विद्यालय की हर संपत्ति का ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार को बनाए रखेगा।

ii) बिना आज्ञा के कोई भी विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी को अपने साथ न तो लाएगा व ना ही ले जाएगा।

iii) अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय की गरिमा को नुकसान पहुँचाता है या किसी भी बच्चे को क्षति पहुँचाता है तो विद्यालय के द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी व क्षतिपूर्ति भुगतान करवाया जाएगा।

7. विद्यालय के अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने हेतु।

i) प्रत्येक विद्यार्थी जो किसी भी गतिविधियों में भाग लेकर अन्य विद्यालय में जाएगा उसे उसके अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित निवेदन विद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना सहमति के कोई भी विद्यार्थी किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा।

8. विद्यार्थी द्वारा सामाजिक, नैतिक व नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों को करना होगा।

i) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अपने अभिभावकों को आदर करना।

ii) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक व अन्य कर्मचारियों का आदर करना।

iii) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा एक आदरणीय भाषा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

iv) प्रत्येक विद्यार्थी समय का पाबंद हो व समय का सदुपयोग करें व इसे समझें।

v) प्रत्येक विद्यार्थी कठिन परिश्रम के साथ हर सुनहरे अवसर को प्राप्त कर अपनी मंजिल को प्राप्त करें।

vi) हर विद्यार्थी मितव्ययता का ज्ञान लें।

हस्ताक्षर

(माता/पिता/अभिभावक)

9. विद्यालय में निषेधित वस्तुएँ

- i) धूम्रपान
- ii) किमती वस्तुएँ जैसे : गहने, घड़ी, मोबाइल व अन्य मुद्रा संबंधित वस्तुएँ।
- iii) बिना लाईसेन्स के वाहन चलाना।
- iv) विद्यालय के अतिरिक्त गतिविधियों में पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहना।
- v) प्रत्येक दंगे, लड़ाई, रैली या अन्यवस्था संबंधित उपद्रव का हिस्सा होना।

10. अगर किसी विद्यार्थी द्वारा निम्न नियमों का उल्लंघन या क्षति पहुँचाई जाएगी तो उसके खिलाफ उक्त कार्यवाही की जाएगी।

- i) समस्याओं को लिखना व उन पर सलाह देना।
- ii) किसी भी खेलकूद या अन्य गतिविधि से विद्यालय नियमानुसार निलम्बित करना।
- iii) विद्यालय के बाद किसी भी विद्यार्थी को अपने साथ रखना या विद्यालय द्वारा दिया गया कार्य पूरा करना।
- iv) अभिभावकों को उनके कार्य या कर्तव्य की जानकारी देना।
- v) विद्यार्थी को निष्कासित करने की चेतावनी देना।
- vi) विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित करना।

11. प्रकाशन हेतु छात्रों के कार्य व छायाचित्र

विद्यालय द्वारा छात्रों के छायाचित्र लेने हेतु अनुमति के संदर्भ में यह छायाचित्र बच्चों के विद्यालय के द्वारा आयोजित गतिविधियों या छात्रों के शिक्षा संबंधित ज्ञान का बढ़ावा देने व विद्यालय सत्र में आपके बालक द्वारा किये गये कार्यों का नमूनों के रूप में प्रकाशित किया जाना है।

प्रकाशित छायाचित्र बच्चों के किये गये कार्यों का एक नमूना मात्र है जिसे विभिन्न तरीकों द्वारा प्रेषित किया गया है इनमें विद्यालय के समाचार पत्र, शिक्षा विभाग, इंटरनेट, वेबसाईट, विद्यालय की वार्षिक पत्रिका, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है जिन्हें आप (थर्ड पार्टी) द्वारा विद्यालय से संबंधित पेम्पलेट्स, विवरण पत्रिका व होर्डिंग्स पर देखा जा सकता है।

- i) विद्यालय द्वारा प्रकाशित बालकों के छायाचित्र केवल उनके द्वारा किये गये कार्यों के नमूने के रूप में अवलोकित रहेंगे।
- ii) आपके बालक के छायाचित्र रंगीन या श्वेत-श्याम रूपों में प्रेषित होंगे।

iii) विद्यालय आपके बालकों के छायाचित्र को केवल शैक्षणिक गतिविधियों व एक सामान्य जानकारी एवं विद्यालय की सार्वजनिक रूप से चल रही शिक्षा प्रणाली के रूप में ही उपयोग करेगा। इस बात की जमानत नहीं रहेगी कि बच्चों की पहचान केवल उनके द्वारा किये गये कार्यों व गतिविधियों के माध्यम से ही रहेगी जो कि केवल शिक्षा विभाग व उसके प्रशिक्षण से जुड़ी होगी। कोई भी बच्चा उनके खुद के छायाचित्र या कार्य से पहचान प्राप्त कर सकता है।

12. फीस हेतु नियम :

- i) एक बार फीस जमा हो जाने के बाद पुनः वापस नहीं की जायेगी न ही अन्य विद्यार्थी के खाते में जमा की जायेगी।
- ii) फीस केवल केश या उसी दिनांक के बैंक के द्वारा ही जमा की जाएगी।
- iii) बैंक अड्डरररर (बाउन्स) होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- iv) फीस कश्तों के रूप में जमा होगी।
- v) कक्षा की कुल फीस रूपये रहेगी।

हस्ताक्षर

(माता/पिता/अभिभावक)

1. Where did you obtain information about Adroit knowledge school (AKS) from ? (Please ✓)

आपने अड्रॉइट नॉलेज स्कूल (अक्स) के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की ? (कृपया ✓ करें)

- AKS Member
अक्स सदस्य
- Newspaper, समाचार पत्र
- Banner, बैनर
- Pamphlet पैम्फ्लेट
- Friend, (please specify Name) मित्र (कृपया नाम दर्शाये)
- Other, (please specify) अन्य (कृपया दर्शाये)

घोषणा पत्र (अभिभावक हेतु)

मैं पिता श्री उम्र

निवासी घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे का प्रवेश आपके विद्यालय में करवाया है मेरे व मेरे बच्चे द्वारा विद्यालय द्वारा बनाये गये समस्त नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
2. मैं घोषणा करता हूँ कि विद्यालय द्वारा बनाये गये नियम व कानूनों का मेरे द्वारा व मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है तो उसकी समस्त जवाबदारी एवं जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी एवं विद्यालय द्वारा मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही एवं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकारी होगा।
3. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा भविष्य में सारे नियमों एवं कानूनों का पालन करता रहेगा व विद्यालय की गरिमा को बनाये रखने में पूरा सहयोग करेगा।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई हेतु रुपये वर्ष में कश्तों में भुगतान कर दूँगा/दूँगी।
5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किये गये कार्यों के छाया चित्रों को विद्यालय अपने शैक्षणिक स्तर पर प्रयोग कर सकता है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विद्यालय में फीस समय पर जमा कराउंगा अगर मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुशासन हीनता की जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय उसे निष्कासित कर सकता है।
7. मैं घोषणा करता हूँ कि विद्यालय के नियमों से सहमत हूँ अगर बच्चे को प्रवेश मिलता है तो मैं सभी नियमों का पालन करूँगा।
8. मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त घोषणा मैंने पूर्ण होश हवास बिना किसी डर दबाव के मैंने आप विद्यालय के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई चुक नहीं होगी अगर होती है तो विद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
9. मेरा यह पुत्र/पुत्री अविवाहित है तथा मैं इस पुत्र/पुत्री का विवाह बालिग होने से पूर्व नहीं करूँगा/करूँगी तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 की पालना भी करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

(माता/पिता/अभिभावक)

FOR OFFICE USE ONLY

Master / Miss has been admitted in Class

on Receipt No Scholar No